न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1786 / 2025
सुपौल थाना कांड सं0– 579 / 2023

21 / 04 / 26	**1. मो0 ताजउद्दीन अंसारी उर्फ मो0 ताजउद्दीन पे0 मो0 इरफान अंसारी** **2. शबनम खातुन उर्फ शबनम खातुन पति मो0 इरफान अंसारी** **3. नीलू प्रवीण उर्फ निगाह अफसाह पे0 मो0 इरफान अंसारी** **तीनो सा0 वार्ड नं0 16 खरैल पुनर्वास** **4. मो0 सरताज उर्फ मो0 रेहान अंसारी पे0 मो0 इरशाद** **5. शहनाज प्रवीण उर्फ सहनाज परवीन पति मो0 इरशाद** **दोनो सा0– वार्ड नं0 17, मोमीन टोला सुपौल, थाना व जिला– सुपौल.....आवेदकगण** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी** _____ प्रार्थी अभियुक्तगण 1. मो0 ताजउद्दीन अंसारी उर्फ मो0 ताजउद्दीन 2. शबनम खातुन उर्फ शबनम खातुन 3. नीलू प्रवीण उर्फ निगाह अफसाह 4. मो0 सरताज उर्फ मो0 रेहान अंसारी 5. शहनाज प्रवीण उर्फ सहनाज परवीन की ओर से सुपौल थाना कांड संख्या– 579 / 2023 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मेहदीहसन दिवान द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा उन्हें ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307, 354बी, 379 भा0दं0वि0 के तहत् लगाया गया आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। उक्त आरोप प्रार्थी अभियुक्तगण पर नहीं बनता है। प्रार्थी अभियुक्तगण एवं सूचक के बीच आपस में मेल सुलह हो गया है तथा इस जमानत आवेदन के साथ राजीनामा आवेदन भी दाखिल किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक मो0 अबू जफ़र द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तों के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद सूचिका कहकंसा प्रवीण के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 447, 341, 323, 325, 307, 354बी, 379, 504, 506 / 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 29 / 06 / 2023 बकरीद के दिन उसका लड़का मो0 अजहर को मो0 ताजउद्दीन व 4–5 अन्य अज्ञात लोग मिलकर मारपीट कर जख्मी कर दिया तब सूचिका अपने लड़का का ईलाज प्राइवेट डॉक्टर से करायी एवं पंचायती बैठाकर मो0 ताजउद्दीन व उनके परिवारिक सदस्यों को बुलाया गया लेकिन वो लोग पंचायती की बात नहीं मानी और धमकी दिया कि इसका अंजाम बुरा होगा। दिनांक 08 / 07 / 2023 को 7.30 बजे सुबह प्रार्थी अभियुक्तगण एवं 4–5 अज्ञात लाठी डंडा लोहे का रॉड लेकर सूचिका के आंगन में घुस गया और गाली गलौज करते हुए ताजउद्दीन अंसारी उसके बेटे अजहर को जान मारने के नीयत से सिर पर लोहे का रॉड से मारा बचाने के लिए हाथ से रोका सूचिका जब बचाने दौड़ी तो ताजउद्दीन सूचिका को बुरी नजर से जमीन पर पटक दिया तथा लोहे का रॉड से मारपीट किया। सरताज सूचिका को पकड़ कर खींचने लगा और बोला शाली पंचायती बैठाती है आज इज्जत लूट लेते है तथा सूचिका के कपड़ा को चीर फाड़ दिया वह चिल्लाने लगी तो ताजउद्दीन बोला शाले को जान से खत्म कर दो इतना पर सभी व्यक्ति सूचिका तथा उसके लड़का को अंधाधुन लाठी रॉड से पीटने लगा जिससे उसके पेट छाती के	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1786 / 2025
सुपौल थाना कांड सं0– 579 / 2023

21 / 04 / 26 **लगातार**	भीतरी भाग में गहरा जख्म हो गया तथा उसके लड़के को भी सभी व्यक्ति मिलकर पेट छाती में लोहे का रॉड एवं फाइट से मारपीट कर बेहोश कर दिया। हल्ला पर ग्रामीण लोग आया जान बचा भागने के क्रम में सूचिका के कान में पहना सोने का वाली वजन आठ आना कीमत 30,000 / – शहनाज प्रवीन एवं नीलू प्रवीण खींच लिया तथा शबनम प्रवीन सूचिका के हाथ में पहना चांदी का कड़ी वजन सात भरी कीमत 7000 / – रूपया खींच लिया तथा सभी व्यक्ति धमकी दिया कि थाना कोर्ट में केस करेगी तो तुम्हारे पुत्र अजहर का हत्या कर देंगे। सभी लोग सदर अस्पताल में अपना इलाज करवाया। सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचिका द्वारा प्रार्थी अभियुक्तों पर सूचिका एवं उनके लड़के के साथ मारपीट कर जख्मी करने एवं सूचिका का जेवर वगैरह खींच लेने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी के कंडिका 9, 10 एवं 11 में साक्षीगण क्रमशः मो0 फखरूद्दीन, मो0 इरफान एवं बीबी रूबैदा खातुन का बयान दर्ज है जिन्होंने बताया कि दोनो पक्षों के बीच में गाली–गलौज मारपीट एवं झगड़ा हो रहा था तथा हल्ला होने पर स्थानीय लोगों द्वारा आकर झगड़ा को शांत कराया गया तथा साक्षियों ने सोने की बाली, चांदी का कड़ी लेने की बात का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध है जिससे स्पष्ट होता है कि जख्मी को कठोर एवं भोथरे पदार्थ से जख्म कारित की गयी है जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का बताया गया है। अभिलेख एवं कांड दैनिकी से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच में समझौता हो गया है तथा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के सुनवाई के क्रम में सूचिका एवं स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उभय पक्षों के बीच समझौता होने के तथ्य को स्वीकार किया गया एवं अभियुक्तों को जमानत दिये जाने का भी निवेदन किया गया। उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के द्वारा हस्ताक्षरित सुलहनामा न्यायालय में दाखिल है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण 1. मो0 ताजउद्दीन अंसारी उर्फ मो0 ताजउद्दीन 2. शबनम खातुन उर्फ शबनम खातुन 3. नीलू प्रवीण उर्फ निगाह अफसाह 4. मो0 सरताज उर्फ मो0 रेहान अंसारी 5. शहनाज प्रवीण उर्फ सहनाज परवीन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रार्थी अभियुक्तों की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में निम्न न्यायालय अभियुक्तों को मो0 10,000 / – रूपये के समान राशि के दो–दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः– 1. प्रार्थी अभियुक्तों का एक–एक जमानतदार उसके माता / पिता / नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्तों बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय उसका बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगा। 3. प्रार्थी अभियुक्तगण वाद के विचारण में सहयोग करेगा। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	